[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 29 अगस्त, 2014

सा.का.नि.....(अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) चौथा संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

(क) नियम 32 में,-

(i) पार्श्व शीर्षक में, "अथवा" शब्द के स्थान पर "और" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उप नियम (1) में, "या" शब्द के स्थान पर "और" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1अ) सेवा के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए कार्यालय अध्यक्ष नियम 59 के खंड (क) में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।";

(ख) उक्त नियमों के नियम 56 में उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक तिमाही अर्थात् प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर को ऐसे सभी सरकारी सेवकों की एक सूची तैयार कराएगा जो उस तारीख से अगले बारह से पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(2) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति उस वर्ष की, यथास्थिति, 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई या 31 अक्तूबर तक, न कि उसके पश्चात्, संबद्ध लेखा अधिकारी को दी जाएगी ।"

(ग) उक्त नियमों के नियम 57 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

-

"57. कार्यालय अध्यक्ष ऐसे सरकारी सेवक, (जिसे इसमें इसके पश्चात् आबंटिती कहा गया है) जिसके कब्जे में कोई सरकारी आवास था या है, की सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संपदा निदेशालय को आबंटिती की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि के बारे में 'बेबाकी पत्र' जारी किए जाने के लिए लिखेगा ।"

(घ) उक्त नियमों के नियम 58 में "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उक्त नियमों में, नियम 59 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"59. अधिवर्षिता पर पेंशन पत्रों की तैयारी के प्रक्रम - कार्यालय अध्यक्ष नियम 58 में निर्दिष्ट एक वर्ष की तैयारी की अवधि को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में विभाजित करेगा, अर्थात् :--

(क) पहला प्रक्रम. - सेवा का सत्यापन,-

(i) कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान कर लेगा कि नियम 32 के अधीन सत्यापित सेवा की पश्चात्वर्ती सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित हैं।

(ii) सेवा के असत्यापित प्रभाग या प्रभागों की बाबत वह, यथास्थिति, सेवा के उस प्रभाग या उन प्रभागों को वेतन बिलों, निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र, अप्रैल मास की वेतन पर्ची जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सेवा के सत्यापन को दर्शाता है, के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा ।

(iii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि में सरकारी सेवक ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो वह कार्यालय अध्यक्ष जिसके अधीन सरकारी सेवक वर्तमान में सेवारत है उस सेवाकाल को सत्यापन के प्रयोजन के लिए उस कार्यालय अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेगा जहां सरकारी सेवक के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने उस काल में वहां सेवा की थी ।

(iv) उपखंड (iii) में निर्दिष्ट संसूचना की प्राप्ति पर उस कार्यालय या विभाग में कार्यालय अध्यक्ष उपखंड (ii) में यथाविनिर्दिष्ट रीति से ऐसी सेवा के प्रभाग या प्रभागों को सत्यापित करेगा और ऐसे किसी निर्देश की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर निर्देश करने वाले कार्यालय अध्यक्ष को आवश्यक प्रमाणपत्र भेजेगा :

परंतु सेवा की किसी अवधि के सत्यापित नहीं किए जा सकने की दशा में इसे निर्देश करने वाले कार्यालय अध्यक्ष की जानकारी में लाया जाएगा ।

(v) यदि पूर्ववर्ती उपखंड में निर्दिष्ट समय के भीतर जवाब प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी अवधि या अवधियों को पेंशन के लिए अर्हित समझा जाएगा।

(vi) यदि उसके पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष और अन्य संबंधित प्राधिकारी सेवा की किसी भी अनर्हक अवधि की संसूचना देने मे असफल रहे थे तो प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव ऐसी संसूचना नहीं दिए जाने का उत्तरदायित्व नियत करेगा।

(vii) उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) और उपखंड (v) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पहले पूरी की जाएगी ।

(viii) यदि सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा के किसी प्रभाग को उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) या उपखंड (v) में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित नहीं किया जा सकता है तो सरकारी सेवक को सादे कागज पर एक लिखित कथन फाइल करने के लिए कहा जाएगा जिसमें वह यह बताएगा कि उसने वास्तव में उस अवधि में सेवा की थी और कथन के अंत में वह इस बात के प्रतीक स्वरूप ऐसे घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा कि उस कथन में जो कुछ कहा गया है वह सही है ।

(ix) कार्यालय अध्यक्ष उपखंड (viii) में निर्दिष्ट लिखित कथन में दिए गए तथ्य पर यह स्वीकार करेगा कि वह सेवा उस सरकारी सेवक की पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए की गई सेवा है ।

(x) यदि कोई सरकारी सेवक जानबूझकर ऐसी कोई गलत सूचना देता हुआ पाया जाता है या जाती है जो उसे किसी ऐसे फायदे का हकदार बनाती है जिसका अन्यथा वह हकदार नहीं होता या होती तो इसका अर्थ गंभीर अवचार के रूप में लगाया जाएगा ।

(ख) दूसरा प्रक्रम - सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति.-

(i) सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करते समय कार्यालय अध्यक्ष उनमें ऐसे लोपों, त्रुटियों या कमियों को पता करेगा जिनका पेंशन के लिए परिलब्धियों और अर्हक सेवा के अवधारण से सीधा संबंध है ।

(ii) खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सत्यापन को पूरा करने और उपखंड (i) में निर्दिष्ट लोपों, त्रुटियों और कमियों को पूरा करने की हर चेष्टा की जाएगी ।

(iii) किन्हीं लोपों, त्रुटियों या कमियों की, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता और सेवा की ऐसी अवधियों की, जिनके बारे में सरकारी सेवक ने कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया है तथा सेवा के उस प्रभाग की, जिसे सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है, जिसे खंड (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, उपेक्षा

की जाएगी और सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर पेंशन के लिए अर्हक सेवा का अवधारण किया जाएगा ।

(iv) औसत परिलब्धियों की गणना करने के प्रयोजन से कार्यालय अध्यक्ष सेवा के अंतिम दस मास में ली गई या ली जाने वाली परिलब्धियों की शुद्धता सेवा पुस्तिका से सत्यापित करेगा ।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के अंतिम दस मास में परिलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक प्रकार से दर्शाई गई हैं, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति से पूर्व केवल चौबीस मास की अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन कर सकता है और उस तारीख से पूर्व की किसी अवधि का नहीं ।

(ग) तीसरा प्रक्रम - दूसरे चरण के पूरे होते ही किंतु सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास के अपश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष -

(i) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को पेंशन और उपदान के प्रयोजन के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रस्तावित अर्हक सेवा की अवधि तथा सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन की गणना के लिए प्रस्तावित परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों की बाबत प्रमाणपत्र देगा ।

(ii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को, यदि उसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा उपदर्शित प्रमाणित सेवा और परिलब्धियां स्वीकार्य नहीं हैं, तो दो मास के भीतर उसके दावे के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित अस्वीकृति के कारण कार्यालय अध्यक्ष को देने का निदेश देगा।

(iii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को प्ररूप 5, उसे उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम छह मास पूर्व सभी प्रकार से सम्यक् रूप से पूरा करके कार्यालय अध्यक्ष को देने की सलाह देते हुए भेजेगा।"

(च) उक्त नियमों में, नियम 59 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"59-अ. अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाला कोई सरकारी सेवक, प्ररूप 5, उसकी सेवानिवृत्ति के पहले किन्तु, यथास्थिति, समक्ष प्राधिकारी द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति को अनुमोदित किए जाने के पश्चात् या सेवानिवृत्ति के प्रभावी हो जाने पर प्रस्तुत कर सकेगा ।";

(छ) उक्त नियमों में, नियम 60 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"60. पेंशन पत्रों का पूरा किया जाना- नियम 59 के अधीन के मामलों में कार्यालय अध्यक्ष उस तारीख से, जिसको सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने वाला है, कम से कम चार मास पूर्व प्ररूप 7 के भाग 1 को पूरा करेगा और नियम 59अ के अधीन के मामलों में कार्यालय अध्यक्ष, प्ररूप 7 के भाग 1 को किसी

सरकारी सेवक द्वारा प्ररूप 5 के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् तीन मास के भीतर पूरा करेगा ।" ।

(ज) उक्त नियमों के नियम 61 में,-

(i) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पत्र किसी सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम चार मास पूर्व और अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से भिन्न मामलों में, प्ररूप 5 के प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी को भेजे जाएंगे।"

(झ) उक्त नियमों के नियम 62 में, "नियम 61 के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

(ञ) उक्त नियमों के नियम 63 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(1) नियम 71 में दिए गए सरकारी शोध्यों को परिनिश्चित और निर्धारित करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 8 में उनकी विशिष्टियां लेखा अधिकारी को देगा ।"।

(ट) उक्त नियमों में, नियम 64 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"64. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों से भिन्न कारणों के लिए अनंतिम पेंशन- (1) जहां नियम 59 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने पर भी, कार्यालय अध्यक्ष के लिए यह संभव न हो कि नियम 61 में निर्दिष्ट पेंशन पत्र, उस नियम के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा अधिकारी को भेज सके या जहां पेंशन पत्र लेखा अधिकारी को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे गए हों किन्तु पेंशन पत्र लेखा अधिकारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को पेंशन संदाय आदेश और उपदान संदाय आदेश जारी करने के पूर्व, और अधिक जानकारी के लिए लौटा दिए गए हों और सरकारी सेवक का, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उसकी पेंशन और उपदान या दोनों अंतिम रूप से निर्धारित और तय किए जाने के पूर्व सेवा निवृत्त होना संभाव्य हो, तो कार्यालय अध्यक्ष ऐसी जानकारी पर भरोसा करेगा जो शासकीय अभिलेखों में उपलभ्य हो और बिना विलंब के अनंतिम पेंशन की रकम और अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान की रकम अवधारित करेगा ।

(2) अधिवर्षिता से भिन्न अन्यथा सेवानिवृत्ति के किसी मामले में, प्ररूप 5 के प्राप्त होने पर कार्यालय अध्यक्ष पेंशन संदाय आदेश के जारी किए जाने तक अनंतिम पेंशन और अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान भी मंजूर करेगा ।

(3) जहां पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों से भिन्न किसी कारण से नहीं किया जा सकता है तो कार्यालय अध्यक्ष-

(क) सरकारी सेवक को संबोधित एक मंजूरी पत्र जारी करेगा और उसकी प्रति लेखा अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करते हुए पृष्ठांकित करेगा-

(i) अनंतिम पेंशन के रूप में पेंशन का सौ प्रतिशत छह मास से अनधिक की अवधि के लिए, जो सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से संगणित की जाएगी ; और

(ii) अनंतिम उपदान के रूप से उपदान का सौ प्रतिशत, जिसमें से उपदान का दस प्रतिशत विधारित किया जाएगा।

(ख) नियम 63 के उपनियम (1) के अधीन उपदान से वसूलीय रकम मंजूरी पत्र में विनिर्दिष्ट करेगा और खंड (क) में निर्दिष्ट मंजूरी पत्र जारी किए जाने के पश्चात् कार्यलय अध्यक्ष-

(i) अनंतिम पेंशन की रकम ; और

(ii) अनंतिम उपदान की रकम, उसमें से खंड (क) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट रकम नियम और 71 में विनिर्दिष्ट शोध्य, यदि कोई हो, घटाने के पश्चात्,

स्थापन के वेतन और भत्ते आहरित करने की रीति से आहरित करेगा।

(4) उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन संदेय अनंतिम पेंशन और उपदान की रकम का, यदि आवश्यक हो, अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा पूरी करने पर पुनरीक्षण किया जाएगा ।

(5) (क) अनंतिम पेंशन का संदाय सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से या सरकारी सेवक द्वारा प्ररूप 5 प्रस्तुत किए जाने की तारीख से, इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, छह मास की अवधि के बाद जारी नहीं रहेगा और यदि छह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अंतिम उपदान की रकम का अवधारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा, लेखा अधिकारी के परामर्श से कर दिया गया है तो लेखा अधिकारी-

(i) पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा ; और

(ii) कार्यालय अध्यक्ष को, सरकारी शोध्यों का, यदि कोई हों, जो अनंतिम उपदान का संदाय किए जाने के पश्चात् जानकारी में आए हों, समायोजन करने के पश्चात् उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संदत्त अनंतिम उपदान की रकम और अंतिम उपदान के अंतर का आहरण और संवितरण करने का निदेश देगा ।

(ख) यदि यह पाया जाए कि उपनियम (3) के अधीन सरकारी सेवक को संवितरित अनंतिम पेंशन की रकम उसके अंतिम निर्धारण पर लेखा अधिकारी

द्वारा निर्धारित अंतिम पेंशन से अधिक है तो लेखा अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उस अधिक रकम को उपनियम (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन विधारित उपदान में से समायोजित करे या अधिक रकम को भविष्य में संदेय पेंशन का कम संदाय करके, किस्तों में वसूल करे ।

(ग) (i) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपनियम (3) के अधीन संवितरित की गई अनंतिम उपदान की रकम अंतिम रूप से निर्धारित रकम से अधिक है तो सेवानिवृत्त सरकारी सेवक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह वास्तव में उसको संवितरित अधिक रकम का प्रतिदाय करे ।

(ii) कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम रूप से निर्धारित उपदान की रकम से अधिक रकम के संवितरण के अवसर कम से कम हों और अधिक संदाय के लिए जिम्मेदार पदधारी अतिसंदाय के देनदार होंगे ।

(6) यदि उपनियम (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट छह मास की अवधि के भीतर पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा ।

(7) जैसे ही उपनियम (5) के खंड (क) या उपनियम (6) के अधीन पेंशन के संदाय का आदेश लेखा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, कार्यालय अध्यक्ष उपनियम (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन विधारित उपदान की रकम, उन सरकारी शोध्यों का समायोजन करने के पश्चात्, जो उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अनंतिम उपदान के संदाय के पश्चात् जानकारी में आते हैं, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को दी जाएगी ।

(8) यदि सरकारी सेवक सरकारी आवास-सुविधा का आबंटिती है या था तो विधारित राशि का प्रतिदाय संपदा निदेशालय से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर किया जाएगा ।";

(ठ) उक्त नियमों के नियम 65 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) (क) नियम 61 में निर्दिष्ट पेंशन पत्रों की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 7 के भाग 2 में लेखा मुखांकन अभिलिखित करेगा और पेंशन, कुटुंब पेंशन तथा उपदान की रकम निर्धारित करेगा तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा ।

(ख) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से भिन्न अन्यथा सेवानिवृत्ति के मामलों में लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 7 के भाग 2 को पूरा करेगा, पेंशन, कुटुंब पेंशन तथा उपदान की रकम निर्धारित करेगा, शोध्य

निर्धारित करेगा और कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा ।

(ग) लेखा अधिकारी, पेंशन संदाय आदेश में सरकारी सेवक के पति या पत्नी का नाम, यदि जीवित हो, कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में उपदर्शित करेगा ।

(घ) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में स्थायी रूप से निःशक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा निःशक्त सहोदरों के नाम भी कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में उपदर्शित करेगा, यदि कुटुंब का कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे निःशक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पहले कुटुंब पेंशन संदेय हो ।

(ङ) किसी विद्यमान पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के किसी आवेदन पर कार्यालय अध्यक्ष से लिखित संसूचना की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में स्थायी रूप से निःशक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा निःशक्त सहोदरों के नाम भी कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में उपदर्शित करेगा, यदि कुटुंब में कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे निःशक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पहले पेंशन संदेय हो ।

(च) पेंशन संवितरण प्राधिकारी नियम 54 में उपदर्शित क्रम में नियम 81 के उपबंधों के अनुसार खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट कुटुंब के सदस्य को कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करेगा ।

(ड) उक्त नियमों के नियम 66 के परंतुक में, "पांच सौ रुपए प्रतिमास से अनधिक" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ढ) उक्त नियमों के नियम 68 में,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) ऐसे सभी मामलों में, जहां उपदान का संदाय उस तारीख के पश्चात्, जब संदाय देय हुआ, किया जाता है, जिसके अंतर्गत अधिवर्षिता से भिन्न अन्यथा सेवानिवृत्ति के मामले भी हैं, और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ है, तो समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार साधारण भविष्य निधि रकम पर लागू दर से ब्याज का संदाय किया जाएगा :

परंतु यह तब जब संदाय में विलंब सरकारी सेवक के पेंशन पत्रों को प्रक्रियागत करने के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने में सरकारी सेवक के असफल रहने के कारण नहीं हुआ हो ।

(ii) उपनियम (2) में, "प्रशासनिक चूक" शब्दों के स्थान पर "प्रशासनिक कारणों या चूक" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (4) में, "प्रशासनिक कार्यवाही करेगा जो" शब्दों के पश्चात् "प्रशासनिक चूक के कारण" अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ण) उक्त नियमों के नियम 70 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1-अ) इस प्रश्न का विनिश्चय कि क्या पुनरीक्षण लिपिकीय भूल के कारण आवश्यक हो गया है या नहीं, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा ।"

(त) उक्त नियमों के नियम 72 में,-

(i) उपनियम (1) में, "आबंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व" शब्दों के स्थान पर, "दो मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपनियम (4) में, "चार मास की" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(थ) उक्त नियमों के नियम 73 में, "दो वर्ष पूर्व, शोध्य" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष पूर्व, शोध्य" शब्द रखे जाएंगे ।

(द) उक्त नियमों के नियम 77 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) जहां मृत सरकारी सेवक का कुटुंब नियम 54 के अधीन कुटुंब पेंशन का पात्र है, वहां कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 14 में दावा करने के लिए, यथास्थिति, कुटुंब के पात्र सदस्य या संरक्षक को प्ररूप 13 में लिखेगा ।"

(ध) उक्त नियमों के नियम 80 में,-

(i) "मद 22, 23, 24, 25 और 26" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "मद 14, 21 और 22" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ।

(न) उक्त नियमों के नियम 80क के उपनियम (5) के परंतुक में, "दो सौ पचास रुपए से अनधिक (जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन पर राहत भी है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "तीन हजार पांच सौ रुपए और अनुज्ञेय मंहगाई राहत" शब्द रखे जाएंगे ।

(प) उक्त नियमों के नियम 80ख में,-

(i) पार्श्व शीर्षक में, "अंतिम पेंशन" शब्दों के स्थान पर, "अंतिम कुटुंब पेंशन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2-अ) लेखा अधिकारी कुटुंब के पहले पात्र सदस्य के लिए कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करते समय स्थायी रूप से निःशक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा निःशक्त सहोदरों के नाम कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित करेगा, यदि कुटुंब में कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे निःशक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पहले कुटुंब पेंशन संदेय हो ।";

(iii) उपनियम (5) का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपनियम (6) में, "अंतिम पेंशन" शब्दों के स्थान पर, "अंतिम कुटुंब पेंशन" शब्द रखे जाएंगे ;

(फ) उक्त नियमों के नियम 80ग के उपनियम (1) में,-

(i) खंड (i) के उपखंड (छ) में, "उसकी मुत्यु की तारीख से चार मास की" शब्दों के स्थान पर, "उसके पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ix) कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपदान की विधारित रकम से समायोजन के पश्चात् असंदत्त शेष अनुज्ञप्ति फीस या नुकसानी की किसी रकम की वसूली, लेखा अधिकारी के माध्यम से कुटुंब पेंशनभोगी की सहमति के बिना मंहगाई राहत से करने का आदेश किया जा सकेगा और ऐसे मामलों में तब तक कोई मंहगाई राहत संवितरित नहीं की जाएगी जब तक ऐसे शोध्यों की पूरी वसूली न कर ली गई हो ।";

(ब) उक्त नियमों के नियम 81 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"81. पेंशनभोगी की मृत्यु पर कुटुंब पेंशन और अवशिष्टीय उपदान की मंजूरी- (1) जहां कार्यालय अध्यक्ष को किसी पेंशनभोगी की मृत्यु या किसी कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता की बाबत इत्तिला मिली हो तो वह यह अभिनिश्चित करेगा कि मृत पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब पेंशन या अवशिष्टीय उपदान या दोनों और कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब पेंशन संदेय है या नहीं और इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित कार्यवाही करेगा ।

(2) (क) (i) यदि मृत पेंशनभोगी की कोई विधवा या विधुर, जो नियम 54 के अधीन कुटंब पेंशन का पात्र है, उत्तरजीवी रहता है तो उसे कुटुंब पेंशन की रकम, जो पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित है, पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से अगले दिन से, यथास्थिति, विधवा या विधुर को संदेय हो जाएगी ।

(ii) पेंशन संवितरक प्राधिकारी विधवा या विधुर से प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर, यथास्थिति, विधवा या विधुर को कुटुंब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा :

परंतु प्ररूप 14 में किसी दावे की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि विधवा या विधुर पेंशनभोगी के साथ ऐसा संयुक्त खाता रखता था, जिसमें पेंशन जमा की जाती थी ।

(iii) पेंशन संवितरक प्राधिकारी ऐसी विधवा या विधुर को, जिनसे प्ररूप 14 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है, कुटुंब पेंशन का संदाय पेंशनभोगी की मृत्यु की लिखित इत्तिला की प्राप्ति पर प्राधिकृत करेगा :

परंतु ऐसी विधवा या विधुर पेंशन संवितरक प्राधिकारी को मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति और इस आशय का वचनबंध देगा कि कोई रकम, जिसकी या जिसका वह हकदार नहीं है या जो ऐसी रकम का आधिक्य उसके

खाते में जमा किया जाए, जिसकी या जिसका वह हकदार नहीं है का प्रतिदाय किया जाएगा या उसकी पूर्ति की जाएगी ।

(iv) खंड (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई स्थायी रूप से निःशक्त बालक या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों मृत पेंशनभोगी के द्वारा उत्तरजीवी है, जिनके नाम पेंशन संदाय आदेश में नियम 65 के उपनियम (1) के खंड (घ) के अधीन कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, तो पेंशन संवितरक प्राधिकारी प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर कुटुंब के ऐसे सदस्य को कुटुंब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा जो नियम 54 के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने का पात्र है ।

(v) जहां पति या पत्नी और स्थायी रूप से निःशक्त बालक या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदर मृत पेंशनभोगी के उत्तरजीवी हैं, जिनके नाम पहले के पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित नहीं किए गए थे तो लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में उनके नाम कार्यालय अध्यक्ष से लिखित संसूचना की प्राप्ति पर सम्मिलित करेगा ।

(vi) पेंशन संवितरक प्राधिकारी कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता पर और प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर किसी स्थायी रूप से निःशक्त बालक या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदर जिसका नाम पेंशन संदाय आदेश कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में सम्मिलित किया गया है और जो नियम 54 के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, को कुटुंब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा ।

(ख) (i) जहां पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब के किसी सदस्य का नाम सम्मिलत नहीं है या जहां कार्यालय अध्यक्ष की यह राय है कि नियम 54 के उपबंधों के अनुसार मृत पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कुटुंब पेंशन कुटुंब के उन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य को संदेय हो गई है जिनके नाम नियम 65 के उपनियम (1) या खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (iv) के अधीन पेंशन संदेय आदेश में सम्मिलित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशनभोगी के कुटुंब का सदस्य हो गया है तो वह प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर, यथास्थिति, प्ररूप 20 या प्ररूप 21 में कुटुंब के ऐसे सदस्य को कुटुंब पेंशन मंजूर करेगा जिसको कुटुंब पेंशन संदेय हो गई है ।

(ii) यदि उपखंड (i) के अधीन कुटुंब पेंशन मंजूर की गई है तो कार्यालय अध्यक्ष किसी भी स्थायी रूप से निःशक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा निःशक्त सहोदरों के नाम कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में सम्मिलित करेगा, यदि कुटुंब का कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे निःशक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पहले पेंशन संदेय हो गई हो।

(3)(i) जहां कुटुंब पेंशन प्राप्त करने वाली कोई विधवा या विधुर पुनर्विवाह करती/करता है और पुनर्विवाह के समय उसके मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी से बालक है या हैं, जो कुटुंब पेंशन का/के पात्र है या हैं तो पुनर्विवाहित व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों की ओर से कुटुंब पेंशन लेने का/की

पात्र होगा/होगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों का संरक्षक बना रहता/बनी रहती है ।

(ii) खंड (i) के प्रयोजनों के लिए पुनर्विवाहित व्यक्ति कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप 14 में आवेदन इस घोषणा के साथ करेंगे कि आवेदक ऐसे बालक/बालकों का/की संरक्षक बना रहा/बनी रही है ।

(iii) यदि पुनर्विवाहित व्यक्ति किसी भी कारण से ऐसे बालक या बालकों का/की संरक्षक नहीं रहता/रहती है, तो कुटुंब पेंशन ऐसे बालक या बालकों के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संरक्षक के रूप में कार्य करने के हकदार व्यक्ति को संदेय हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति कार्यालय अध्यक्ष को कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए प्ररूप 14 में दावा प्रस्तुत कर सकेगा ।

(4) यदि कुटुंब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति कोई अवयस्क है या मानसिक रूप से विच्छृंखलता या निःशक्तता से ग्रसित है या मंदबुद्धि है तो संरक्षक ऐसे व्यक्ति की ओर से प्ररूप 14 में दावा प्रस्तुत कर सकेगा ।

(5) जहां किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की मृत्यु पर कोई अवशिष्टीय उपदान नियम 50 के उपनियम (2) के अधीन मृतक के कुटुंब को संदेय हो जाए वहां कार्यालय अध्यक्ष, अवशिष्टीय उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों से प्ररूप 22 में कोई दावा या दावे प्राप्त करने पर, उसके संदाय मंजूर करेगा ।"

(भ) प्ररूप 5 में, "उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व" शब्दों के स्थान पर "सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ;

(म) प्ररूप 14 में,-

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सरकारी सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु पर या कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता पर कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप"

(ii) मद 1 की उपमद (iv) के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iv) सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख/कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता की तारीख ।"

[फा0सं0 1/19/2013-पीएंडपीडब्ल्यू(ई)]

वंदना शर्मा

(वंदना शर्मा)

संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में का0आ0 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित किए गए थे । जुलाई, 1988 तक संशोधित नियमों का चौथा संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था । उक्त नियम तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे, अर्थात् :--

1. का0आ0 254, तारीख 4 फरवरी, 1989
2. का0आ0 970, तारीख 6 मई, 1989

3. का0आ0 2467, तारीख 7 अक्तूबर, 1989
4. का0आ0 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990
5. का0आ0 1454, तारीख 26 मई, 1990
6. का0आ0 2329, तारीख 8 सितंबर, 1990
7. का0आ0 3269, तारीख 8 दिसंबर, 1990
8. का0आ0 3270, तारीख 8 दिसंबर, 1990
9. का0आ0 3273, तारीख 8 दिसंबर, 1990
10. काआ0 409, तारीख 9 फरवरी, 1991
11. का0आ0 464, तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का0आ0 2287, तारीख 7 सितंबर, 1991
13. का0आ0 2740, तारीख 2 नवंबर, 1991
14. सा0का0नि0 677, तारीख 7 दिसंबर, 1991
15. सा0का0नि0 399, तारीख 1 फरवरी, 1992
16. सा0का0नि0 55, तारीख 15 फरवरी, 1992
17. सा0का0नि0 570, तारीख 19 दिसंबर, 1992
18. का0आ0 258, तारीख 13 फरवरी, 1993
19. का0आ0 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा0का0नि0 449, तारीख 11 सितंबर, 1993
21. का0आ0 1984, तारीख 25 सितंबर, 1993
22. सा0का0नि0 389(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1994
23. का0आ0 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का0आ0 259, तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का0आ0 904(अ), तारीख 30 सितंबर, 2000
26. का0आ0 717(अ), तारीख 27 जुलाई, 2001
27. सा0का0नि0 75(अ), तारीख 1 फरवरी, 2002
28. का0आ0 4000, तारीख 28 दिसंबर, 2002
29. का0आ0 860(अ), तारीख 28 जुलाई, 2003
30. का0आ01483(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003
31. का0आ0 1487(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005
32. सा0का0नि0 723(अ), तारीख 23 नवंबर, 2006
33. का0आ0 1821(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2007
34. सा0का0नि0 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2008
35. का0आ0 1028(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008
36. का0आ0829(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010
37. सा0का0नि0 176, तारीख 11 जून, 2011
38. सा0का0नि0928(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2012
39. सा0का0नि0 938(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2012
40. सा0का0नि0 103(अ), तारीख 21 फरवरी, 2014
41. सा0का0नि0 138(अ), तारीख 3 मार्च, 2014
42. सा0का0नि0 233(अ), तारीख 28 मार्च, 2014